ग्राम पंचायत खनोड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024 तक

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खनोड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत खनोड़ा में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुमन देवी	01-04-2022 से 31-03-2024 **तक**

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप सिंह	01-04-2022 से 31-03-2024 **तक**

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत खनोड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का

सार निम्न प्रकार से है, जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	पंचायत राजस्व, गृहकर वसूली न करना एवं विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी राजकोष में जमा न करने बारे।	7.1 7.2	0.44 0.03
02.	आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर राजस्व की वित्तीय हानि।	8.2	6.71 0.65
03.	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	8.3	0.32
04.	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	8.5	30.88
05.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.1	7.64
06.	मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	9.3	2.01

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत खनोड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09-09-2024 से 18-09-2024 तक ग्राम पंचायत खनोड़ा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	10/2022	05/2022
2.	2023-2024	04/2023	03/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत खनोड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 18-09-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत खनोड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 **(अ) स्व-स्त्रोत व अनुदान** ग्राम पंचायत खनोड़ा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व-स्त्रोत (VKVNY, DYSS, NDRF, SBM etc.)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1090041.50	1353404.00	2443445.50	1463991.00	979454.50
2023-24	979454.50	177683.00	1157137.50	337639.00	819498.50

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
20222023	1218883.30	5273071.80	6491955.10	5098724.80	1393230.30
20232024	1393230.30	3837372.20	5230602.50	3929879.20	1300723.30

कुल योग (1+2) **₹819498.50 + ₹1300723.30 = ₹2120221.80**

(ब) ग्राम पचांयत खनोड़ा, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15th FC	50100371325329	HDFC Dhalhousi	554168.30
2.	PMAAY(G)	99351100000052	HPGB Samote	510384.00
3.	RGSA	100167528734	Induslnd Bank Dharmsala	20950.00
4.	5th SFC	19310107692	HPSCB Tundi	67171.00
5.	General SF /SDP/YSS /SBM/VKVNY etc.	19310101516	HPSCB Tundi	833278.50
			Cash In hand	0.00
			TOTAL	₹1985951.80

अन्तर (अ-ब) ₹2120221.80 - ₹1985951.80 = ₹134270.00

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.34 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत खनोड़ा, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹134270.00 का अन्तर बैंक खातों में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत

करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक संग्रहण केंद्र हेतु जारी राशि ₹2 लाख को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के तहत निधियों का व्यय प्रदत एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार तय समय सीमा में व्यय किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत को स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिनांक 30-06-2021 को राशि ₹200000 प्लास्टिक संग्रहण केंद्र के निर्माण हेतु जारी की गई थी लेकिन विहित अवधि तक व्यय न करने के कारण पंचायत ने दिनांक 13-05-2022 को उक्त राशि फंडिंग एजेंसी वापिस का दी गई। यह अनियमितिता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है अनुदान राशि का विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 16-09-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राप्त अनुदान को समय पर भूमि चयनित न होने के कारण वापिस करना पड़ा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹13 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से

₹1300723.30 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.44 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत खनोड़ा के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹44380 राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया राशि
2022-23	47480	390	50	19500	66980	3350	63630
2023-24	63630	402	50	20100	83730	39350	44380

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 17-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹3075/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without Late Fee	With Late Fee		Without Late Fee	With Late Fee		
2022-2023	11	10@200	-	2000	01@25	-	25	2025
2023-2024	07	05@200	-	1000	02@25	-	50	1050
कुल योग	**18**	**15@200**	**-**	**3000**	**03@25**		**75**	**3075**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 17-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि की वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत खनोड़ा के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं को बिना W, X फॉर्म के राशि ₹6.71 लाख का अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर पर ₹0.65 लाख के राजस्व की हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा

जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) का उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची अनुसार रॉयल्टी का भुगतान पेनल्टी सहित किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत खनोड़ा, के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/W,X-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिसके परिणामस्वरूप बिना W,X-फॉर्म लिए बिना जहाँ आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹671201 का अनियमित भुगतान किया गया वही पर उक्त राशि पर सरकार को राशि ₹64742 (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 11-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही W,X फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त फॉर्म उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित था।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इससे अवैध खनन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.32 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खनोड़ा के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹671201/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज व परफोर्मा बिल ही दिये गये। जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹31961.94 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 11-09-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज, रसीद व परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यदापि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹760 की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(I) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य हैं।

ग्राम पंचायत खनोड़ा के अभिलेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹38000/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹760/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

Vr.No/ Date	Head	Contractor Detail	Name of Service	Amount	TDS @2	Applicable act & Sec.
Nil/ 23-05-22	MGREGA	M/S Mahinder Singh PO Tundi Chamba	Hiring of Mixer	38000	760	IT Act Sec. 194 (I)

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 11-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.5 ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹3088000 के करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि**	**टिप्पणी**
1. VKVNY	कार्य: सामुदायिक भवन खनोडा	300000	Estimate, Work Order and Technical sanction order, UCC, Format-34.etc
2.MGREGA	कार्य: इंटरलॉकिंग पेवर मैन रोड से पंचायत घर फेज-1	1000000	MB, Estimate Work Order and Technical sanction order, UCC, Format-34 .etc
3.MGREGA	कार्य: इंटरलॉकिंग पेवर मैन रोड से पंचायत घर फेज-2	1000000	
4.MGREGA	कार्य : एम्बुलेंस रोड़ खनोडा से GPS नरवाड़ी	500000	do
5.15th FC	कार्य : ड्रेन कार्य घट्टा	150000	do
6.15th FC	कार्य : तालाब निर्माण थोना	138000	do
	TOTAL	**3088000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 16-09-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिसका कोई भी उत्तर पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 विहित औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹7.64 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 67(2) 67(3,क) 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राशि ₹763651/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "3" में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 11-09-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उत्तर संतोषजक नहीं है अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹7.53 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान:-

ग्राम पंचायत खनोड़ा के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "5" के अनुसार राशि ₹752650.61 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स

बिल न होकर केवल सादे कागज पर, एवं परफोर्मा बिल हैं इसके अतिरिक्त अधिकतर बिलों पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है। जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितिता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹2.01 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत खनोड़ा के चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹201491/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्टरोल पर सतर्कता व निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना।
3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना।

4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक ,कार्य का नाम , कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	**निर्माण कार्य**	**मस्ट्रोल संख्या**	**वाउचर/ दिनांक**	**राशि**
VKVNY.1	कार्य: सामुदायिक भवन खनोडा	40849	03/ 04-05-2022	11700
2.VKVNY	कार्य: पक्का पाथ खनोडा, हंस राज के घर के पास	40858	20/ 28-05-2022	22575
3.15thFC	कार्य : कार्य: रास्ता निर्माण झडूलम से टुंडी पुल	48359	22/ 19-07-2022	66066
4.15thFC	कार्य :ड्रेन कार्य घट्टा	48361	27/ 19-07-2022	54250
5.15th FC	कार्य: तालाब निर्माण थोना	48365/ 48366	40 & 41/ 19-07-2022	46900
			कुल योग	**₹201491**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 11-09-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा अनुदान के तहत राशि ₹960 का अधिक भुगतान करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये

गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत खनोड़ा के मनरेगा व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, मनरेगा के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि 960 का अधिक भुगतान किया इस सम्बन्ध में वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि, किये गए अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवा दी जाएगी।

Name of Work	Mustrol No	Payment due as per Mustrol	Actual Payment	Excess Payment
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
C/o Protection Wall Near Panchayat Ghar	17428	2400 (10x240)	3360 (14x240)	960 (4x240)

अत: उक्त राशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार करके शीघ्र ही सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जाये तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.5 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी जिससे की अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 06-09-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.6 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹3287477.98 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 16-09-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया

जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खनोड़ा के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा केवल मैनुयल संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष बैंक पासबुक से लिये

गए हैं। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत खनोड़ा के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 16-09-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे

DYSS,NDRF,VKVNY इत्यादि का एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं

11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/ सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/ प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा । अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के <u>**नियम 73**</u> के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खनोड़ा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 16-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

5520-5524 का0/प0 19 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्या:— फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 168/2024 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत खनोड़ा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का0/प0

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Khanoda for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (VKVNY, DYSS,NDRF,SBM & Others)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1090041.50	1353404.00	2443445.50	1463991.00	979454.50
2023-24	979454.50	177683.00	1157137.50	337639.00	819498.50

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1218883.30	5273071.80	6491955.10	5098724.80	1393230.30
2023-24	1393230.30	3837372.20	5230602.50	3929879.20	1300723.30

2120221.80

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खनोडा, विकास खंड भटियात में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत पांच रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है ।

1+2 (819498.50+1300723.30)	Closing Balance as per Cash Books	2120221.80
	Closing Balance as per Bank Passbook	1985951.80
Difference	(Less in Bank Passbook)	134270.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Khanoda
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Khanoda for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	3425262.80	3425262.80	3425262.80	0.00
		2023-24	0.00	2906337.20	2906337.20	2906337.20	0.00
2	15TH FC	2022-23	814722.30	980029.00	1794751.30	805615.00	989136.30
		2023-24	989136.30	111558.00	1100694.30	550843.00	549851.30
3	SDP	2022-23	400000.00	99940.00	499940.00	212700.00	287240.00
		2023-24	287240.00	63560.00	350800.00	194959.00	155841.00
4	PMAAY(G)	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	510384.00	510384.00	0.00	510384.00
5	RGSA	2022-23	0.00	514700.00	514700.00	467243.00	47457.00
		2023-24	47457.00	993.00	48450.00	27500.00	20950.00
6	5th SFC	2022-23	4161.00	253140.00	257301.00	187904.00	69397.00
		2023-24	69397.00	244540.00	313937.00	250240.00	63697.00
			1218883.30	5273071.80	6491955.10	5098724.80	1393230.30
			1393230.30	3837372.20	5230602.50	3929879.20	1300723.30

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Khanoda
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

Reffesed in Para no. 9.1

Annexure "3" Store/ stock purchase without Codal Formalities in r/o GP Khanoda

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY.	AMOUNT PAID	REMARKS
1	M/S Mahajan Hardware Shop	VKVNY	04/	Primer		14100.00	Qutations not Called
	VPO Tundi, Chamba		04-05-2022	Paint Etc.			
2	M/S J.S Welding Works	VKVNY	05/	Welding	122kg	12200.00	do
	VPO Garnota, Chamba		04-05-2022				
3	M/S R.S Traders	VKVNY	08/	Genti,belcha			
	PO Samot, Chamba		04-05-2022	Tasla,Rassi etc.		4651.00	do
4	M/S Ganpati Stationery	SF	69/	Stationery		7000.00	do
	& Photostate PO Tundi, Chamba		21-03-2024				
5	M/S Uday Singh Stationary &	SF	70/	Stationery		5700.00	do
	Photostate, PO Tundi, Chamba		21-03-2024				
6	M/S Jitender Rana Artist	MGREGA	Nil	Board Painting	11@1000	11000.00	do
	PO Tundi, Chamba		18-03-2024				
7	M/S Mahajan Construction Co.	MGREGA	Nil	Pawer Tiles	9477No.		Qutations not shown
	Chuwari, Chamba		18-03-2024		@22.30	211337.00	
				A. TOTAL		265988.00	
8	M/S Mahinder Singh	VKVNY	09/	Sand	0.56	691.00	Qutations Were not
	PO Tundi, Chamba		04-05-2022	Aggre.	18.00	18900.00	approved by sub
9	M/S Mahinder Singh	VKVNY	14/	Sand	5.72	9152.00	committee of GP
	PO Tundi, Chamba		09-05-2022	Aggre.	0.78	1092.00	no Comprittive
10	M/S Angrej Singh	VKVNY	21-24	Stone	10.00	18000.00	Statement
	PO Tundi, Chamba		28-05-2022				
11	M/S Mahinder Singh	MGREGA	Nil	Aggre.	29.91	41986.00	
	PO Tundi, Chamba		23-05-2022	Sand	28.85	45920.00	
12	M/S Mahinder Singh	MGREGA	Nil	Sand	48.57	77712.00	
	PO Tundi, Chamba		23-05-2022	Aggre.	73.95	103530.00	
13	M/S Mahinder Singh	15th FC	05/	Sand	8.72	16350.00	
	PO Tundi, Chamba		06-05-2022	Aggre.	17.44	28253.00	
14	M/S Angrej Singh	15th FC	8-13/	Stone	18.00	28800.00	
	PO Tundi, Chamba		10-05-2022				
15	M/S Mahinder Singh	15th FC	Nil	Aggre.	12.92	20930.40	
	PO Tundi, Chamba		22-05-2022	Sand	8.82	16537.50	
16	M/S Parshottam Singh	MGREGA	NIL	Aggre.	7.86	9424.14	
	PO Kakroti, Chamba		18-03-2024	Sand	9.71	12331.70	
17	M/S Parshottam Singh	MGREGA	NIL	Aggre.	11.13	13344.87	
	PO Kakroti, Chamba		18-03-2024	Sand	10.00	12700.00	
18	M/S Parshottam Singh	MGREGA	NIL	Aggre.	12.00	14388.00	
	PO Kakroti, Chamba		18-03-2024	Sand	6.00	7620.00	
					B.TOTAL	497662.61	

A+B G TOTAL= 763650.61

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Khanoda
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 व 8.8 में सम्बन्धित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP KHANODA FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "X,W" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST PAID ON BILL
1	M/S Mahinder Singh	VKVNY	09/	Sand	0.56	0.90	691	80	71.68	658.10	32.90
	PO Tundi, Chamba		04-05-2022	Aggre.	18.00	34.92	18900	80	2793.60	18000.00	900.00
2	M/S Mahinder Singh	VKVNY	14/	Sand	5.72	9.15	9152	80	732.16	8716.19	435.81
	PO Tundi, Chamba		09-05-2022	Aggre.	0.78	1.51	1092	80	121.06	1040.00	52.00
3	M/S Angrej Singh	VKVNY	21-24	Stone	10.00	22.40	18000	80	1792.00	17142.86	857.14
	PO Tundi, Chamba		28-05-2022					80	0.00	0.00	0.00
4	M/S Mahinder Singh	VKVNY	41 & 42	Aggre.	15.91	30.87	25774	80	2469.23	24546.67	1227.33
	PO Tundi, Chamba		23-09-2022	Sand	17.24	27.58	32325	80	2206.72	30785.71	1539.29
5	M/S Mahinder Singh	DYSS	47-49	Sand	19.82	31.71	37162.5	80	2536.96	35392.86	1769.64
	PO Tundi, Chamba		10-10-2022	Aggre.	14.23	27.61	23052.6	80	2208.50	21954.86	1097.74
6	M/S Angrej Singh	VKVNY	06 to 17	Stone	30.68	68.72	55224	80	5497.86	52594.29	2629.71
	PO Tundi, Chamba		20-04-2023					80	0.00	0.00	0.00
7	M/S Mahinder Singh	MGREGA	Nil	Aggre.	29.91	58.03	41986	80	4642.03	39986.67	1999.33
	PO Tundi, Chamba		23-05-2022	Sand	28.85	46.16	45920	80	3692.80	43733.33	2186.67
8	M/S Mahinder Singh	MGREGA	Nil	Sand	48.57	77.71	77712	80	6216.96	74011.43	3700.57
	PO Tundi, Chamba		23-05-2022	Aggre.	73.95	143.46	103530	80	11477.04	98600.00	4930.00
9	M/S Mahinder Singh	15th FC	05/	Sand	8.72	13.95	16350	80	1116.16	15571.43	778.57
	PO Tundi, Chamba		06-05-2022	Aggre.	17.44	33.83	28253	80	2706.69	26907.62	1345.38
10	M/S Angrej Singh	15th FC	8-13/	Stone	18.00	40.32	28800	80	3225.60	27428.57	1371.43
	PO Tundi, Chamba		10-05-2022					80	0.00	0.00	0.00
11	M/S Mahinder Singh	15th FC	Nil	Aggre.	12.92	25.06	20930.4	80	2005.18	19933.71	996.69
	PO Tundi, Chamba		22-05-2022	Sand	8.82	14.11	16537.5	80	1128.96	15750.00	787.50
12	M/S Parshottam Singh	MGREGA	NIL	Aggre.	7.86	15.25	9424.14	80	1219.87	8975.37	448.77
	PO Kakroti, Chamba		18-03-2024	Sand	9.71	15.54	12331.7	80	1242.88	11744.48	587.22
13	M/S Parshottam Singh	MGREGA	NIL	Aggre.	11.13	21.59	13344.87	80	1727.38	12709.40	635.47
	PO Kakroti, Chamba		18-03-2024	Sand	10.00	16.00	12700	80	1280.00	12095.24	604.76
14	M/S Parshottam Singh	MGREGA	NIL	Aggre.	12.00	23.28	14388	80	1862.40	13702.86	685.14
	PO Kakroti, Chamba		18-03-2024	Sand	6.00	9.60	7620	80	768.00	7257.14	362.86
						TOTAL	[redacted] 671200.71		[redacted] 64741.71	[redacted] 639238.77	[redacted] 31961.94

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

   Conversion Factor

2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**

   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter ($M^{3)}$ Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3. **B. From Cubic Meter ($M^{3)}$ to Tonne**

One Cubic Meter ($M^{3)}$ Sand	1.60
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate M	1.94
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate	1.46
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Stone	2.24

4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or n

Checked

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Khanoda
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)

Reflected in Para no. 9.2

Annexure "5" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Khanoda, Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S Mahajan Hardware Shop	VKVNY	04/	Primer		14100.00	Performa Bill
	VPO Tundi, Chamba		04-05-2022	Paint Etc.			Do
2	M/S J.S Welding Works	VKVNY	05/	Welding	122kg	12200.00	do
	VPO Garnota, Chamba		04-05-2022				do
3	M/S R.S Traders	VKVNY	08/	Genti,belcha			do
	PO Samot, Chamba		04-05-2022	Tasla,Rassi etc.		4651.00	do
4	M/S Ganpati Stationery	SF	69/	Stationery		7000.00	do
	& Photostate PO Tundi, Chamba		21-03-2024				do
5	M/S Uday Singh Stationary &	SF	70/	Stationery		5700.00	do
	Photostate, PO Tundi, Chamba		21-03-2024				do
6	M/S Mahajan Construction Co.	MGREGA	Nil	Pawer Tiles	9477No.		Performa Bill
	Chuwari, Chamba		18-03-2024		@22.30	211337.00	do
7	M/S Mahinder Singh	VKVNY	09/	Sand	0.56	691.00	do
	PO Tundi, Chamba		04-05-2022	Aggre.	18.00	18900.00	do
8	M/S Mahinder Singh	VKVNY	14/	Sand	5.72	9152.00	do
	PO Tundi, Chamba		09-05-2022	Aggre.	0.78	1092.00	do
9	M/S Mahinder Singh	MGREGA	Nil	Aggre.	29.91	41986.00	do
	PO Tundi, Chamba		23-05-2022	Sand	28.85	45920.00	do
10	M/S Mahinder Singh	MGREGA	Nil	Sand	48.57	77712.00	do
	PO Tundi, Chamba		23-05-2022	Aggre.	73.95	103530.00	do
11	M/S Mahinder Singh	15th FC	05/	Sand	8.72	16350.00	do
	PO Tundi, Chamba		06-05-2022	Aggre.	17.44	28253.00	do
12	M/S Mahinder Singh	15th FC	Nil	Aggre.	12.92	20930.40	do
	PO Tundi, Chamba		22-05-2022	Sand	8.82	16537.50	do
13	M/S Parshottam Singh	MGREGA	NIL	Aggre.	7.86	9424.14	do
	PO Kakroti, Chamba		18-03-2024	Sand	9.71	12331.70	do
14	M/S Parshottam Singh	MGREGA	NIL	Aggre.	11.13	13344.87	do
	PO Kakroti, Chamba		18-03-2024	Sand	10.00	12700.00	do
15	M/S Parshottam Singh	MGREGA	NIL	Aggre.	12.00	14388.00	do
	PO Kakroti, Chamba		18-03-2024	Sand	6.00	7620.00	do
16	M/S Angrej Singh	15th FC	8-13/	Stone	18.00	28800.00	Plain paper
	PO Tundi, Chamba		10-05-2022				do
17	M/S Angrej Singh	VKVNY	21-24	Stone	10.00	18000.00	do
	PO Tundi, Chamba		28-05-2022				do
					TOTAL	752650.61	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Khanoda
Dev. Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)